लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
034/2022 (GCMS 2022/196)	29.06.2022	21.07.2022

अनवान

गजेन्द्र कुमार पिता देवकिशन गौड़ निवासी आकोला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 12.05.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./034/2022(सू.अ.)(20.07.2022)/532 दिनांक 29.06.2022 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ को दिनांक 20.07.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 20.07.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/पंजीयन/आरटीआई/2022/68 दिनांक 19.07.2022 से कमेन्ट्स प्रेषित किए जो इस प्रकार है–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी आवेदक के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कार्यालय में दिनांक 18.05.2022 को प्राप्त हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब कार्यालय के पत्रांक/रीडर/लोसूअ/2022/41 दिनांक 12.06.2022 के द्वारा प्रार्थी आवेदक को भिजवाया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि आपके द्वारा चाही गयी सूचना/नकलें स्पष्ट विवरण रहित हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत यह व्यवस्था दी गयी है कि लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना अथवा सूचना की व्यवस्था करना अथवा आवेदक द्वारा उठाई गयी समस्याओं का समाधान करना अथवा काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं हैं। इस पत्र के द्वारा आवेदक को उप पंजीयक कार्यालय भूपालसागर में उपस्थित होकर वांछित बिन्दु संख्या 1 व 2 में पंजीयन हुए दस्तावेजों के दिनांक एवं पक्षकारान की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने बाबत् निर्देशित किया गया, लेकिन आवेदक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। इसके पश्चात् भी दिनांक 13.06.2022 को आवेदक के नाम तामील जारी की जाकर तामील कुलिंदा को दी गयी, जिसमें तामील कुलिंदा की रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि संबंधित आवेदक सांवरिया जी में सर्विस करते हैं, वहां गए हुए हैं। इस प्रकार उक्त सूचना पत्र/तामील अदम इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। इसके पश्चात् दिनांक 24.06.2022 को प्रार्थी आवेदक के प्रार्थना पत्र में अंकित निवास के पते पर जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाया गया है। इसके पश्चात् भी अभी तक आवेदक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ हैं। इस प्रकार आवेदन पत्र में पंजीयन की स्पष्ट दिनांक व दस्तावेज विशेष का अंकन नहीं किये जाने से वांछित नकलें नियमानुसार तैयार नहीं की जा सकी हैं। अब भी आवेदक यदि इस कार्यालय में उपस्थित होकर चाही गयी नकलों के संबंध में उक्तानुसार स्थिति स्पष्ट कर दें, तो नियमानुसार चाही गयी वांछित नकलें आवेदक को जारी की जा सकती हैं।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/पंजीयन/आरटीआई/2022/68 दिनांक 19.07.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक/रीडर/लोसूअ/2022/41 दिनांक 12.06.2022 से अपीलार्थी को वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया गया। इसके साथ ही दिनांक 13.06.2022 को आवेदक के नाम तामील भी जारी की गयी, जो अदम तामील कार्यालय में प्राप्त हुई। साथ ही दिनांक 24.06.2022 को भी जरिये रजिस्टर्ड डाक आवेदक को वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण पेश करने हेतु लिखा गया। परन्तु अपीलार्थी आदिनांक तक कार्यालय में वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत कोई भी सूचना चाहने हेतु आवेदक को वांछित सूचना का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित कमेन्ट्स एवं उसके संलग्न अनुलग्नकों से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने पर भी अपीलार्थी ने आदिनांक तक उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट व पूर्ण विवरण अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

निष्कर्षतः अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट व पूर्ण विवरण, उप पंजीयक कार्यालय भूपालसागर में उपस्थित होकर उपलब्ध कराने तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने के पश्चात् अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तैयार कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती हैं।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **21.07.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

-SD-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
21.07.2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official